सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
फाल्गुन 6, गुरूवार, *शाके* 1942–फरवरी 25, 2021 *Phalguna 6, Thursday, Saka 1942- February 25, 2021*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त् शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 23, 2021

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/429 :-विभागीय अधिसूचना क्रमांक 631 दिनांक 19.06.2020 द्वारा 16 नवीन नगरपालिकाओं के गठन एवं अधिसूचना क्रमांक 748 दिनांक 25.06.2020 द्वारा नगरपालिका बामनवास के गठन संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी। तत्पश्चात् विभागीय अधिसूचना क्रमांक 1006 दिनांक 13.08.2020 द्वारा नगरपालिका उच्चैन की सीमाओं में संशोधन किया गया एवं अधिसूचना क्रमांक 1299 दिनांक 27.08.2020 द्वारा नगरपालिका पावटा की सीमाओं में संशोधन किया जाकर नगरपालिका पावटा के स्थान पर नगरपालिका पावटा-प्रागपुरा किया गया। उक्त अधिसूचनाओं द्वारा निम्न 17 नवीन नगरपालिकायें गठित की गई थी :-

क्र.सं.	जिला	नगर पालिका
1	जयपुर	पावटा-प्रागपुरा
2	जयपुर	बस्सी
3	अलवर	बानसूर
4	अलवर	लक्ष्मणगढ
5	अलवर	रामगढ
6	दौसा	मण्डावरी
7	जोधपुर	भोपालगढ
8	धौलपुर	सरमथुरा
9	धौलपुर	बसेडी
10	करौली	सपोटरा
11	गंगानगर	लालगढ- जाटान
12	बांरा	अटरू
13	कोटा	सुल्तानपुर
14	सिरोही	जावाल
15	भरतपुर	उच्चैन
16	भरतपुर	सीकरी
17	सवाईमाधोपुर	बामनवास

उपरोक्त नवगठित नगरपालिकाओं के गठन के विरूद् विभिन्न याचिकाकर्ताओ द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) की पालना नही किये जाने के आधार पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में विभिन्न रिट याचिकायें प्रस्तुत की गई जिनमें डी.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 10890/2020, 6707/2020, 9483/2020 एवं 6721/2020 में माननीय उच्च द्वारा दिनांक 09.10.2020 को निम्न प्रकार से स्थगन आदेश पारित किया गया है:-

"Till then, operation of the notifications dated 19.06.2020/ 22.07.2020/ 31.08.2020 shall remain stayed."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के क्रम में प्रकरण में माननीय महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर से राय प्राप्त की गई। माननीय महाधिवक्ता महोदय द्वारा नगरपालिकाओं के गठन के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा चम्पा लाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2018 के अनुसार नगरपालिकाओं के गठन से पूर्व भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) में वर्णित मानकों का निर्धारण किया जाना अनिवार्य बताया है, जिसके क्रम में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 जारी की जा चुकी है।

अत: विभागीय अधिसूचना क्रमांक 631 दिनांक 19.06.2020, 748 दिनांक 25.06.2020, 1006 दिनांक 13.08.2020 एवं 1299 दिनांक 27.08.2020 को माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अध्यधीन **एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त/विखण्डित किया जाता है। अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 में निर्धारित किये गये मानकों के अनुसार नगरपालिकाओं के गठन के संबंध में नवीन सिरे से परीक्षण किया जाकर नगरपालिकाओं के गठन से संबंधित कार्यवाही शीघ्र ही की जावेगी।**

राज्यपाल की आज्ञा से,

निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।